

171

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम : -

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 किमी०) का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नाप मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	घनराशि (रु०में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	100.00	0.20	0.20	0.30	1.20	घनमीटर	290.10	348.12
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	100.00	0.20	0.20	0.15	0.60	घनमीटर	310.00	186.00
3	1:2:4सीमेन्ट मसाले में आर० सी० सी० पिलर निर्माण	100.00	0.20	0.20	1.20	4.80	घनमीटर	6067.50	29124.00
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	1.00 % of Total R.C.C. Work = (4.80 X 78.50 X 1) / 100				3.77	कुन्तल	5902.51	22240.66
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4 X 100	0.20	-	0.90	72.00			
	Top	1 X 100	0.20	0.20	-	4.00			
					योग	76.00	वर्गमीटर	202.50	15390.00
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1 X 100	-	-	-	1 X 100	L-S	5.00	3500.00
7	पानी की ढुलाई आदि	1	-	-	-	1	L-S	10000.00	10000.00
	कुल योग रु०								80788.78
	Say Rs.								80789.00

वन दरोगा
भिलंगना वन राजि

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-I
New Tehn

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमोद कुमार अधिकारी
डिहरी वन प्रमोद गाँव टिहरी
नई टिहरी

वन क्षेत्र अधिकारी
भिलंगना वन राजि
टि० व० प्र० नई टिहरी

प्रपत्र-52.1

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली – अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी०पिलरों द्वारा सीमांकन हेतु आने वाले व्यय की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली – अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० – 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 किमी०) के नव निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दोनों तरफ सीमांकन पिल्लर/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी